



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2158]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 2010/आश्विन 21, 1932

No. 2158]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2010/ASVINA 21, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2010

आयकर

का.आ. 2564(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ड की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा "क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड", बी 0301, सिटी प्वाइंट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400 059 को उक्त अधिनियम की धारा 80ड के प्रयोजनार्थ एक "वित्तीय संस्थान" के रूप में विहित करती है।

[अधिसूचना सं. 79/2010/फा. सं. 178/49/2008-आई टी ए-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2010

Income Tax

S.O. 2564(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 80E of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the "Credila Financial Services Private Limited", B 0301, Citi Point, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400 059 as a "Financial Institution" for the purpose of Section 80E of the said Act.

[Notification No. 79/2010/F. No. 178/49/2008-ITA-I]

RAMAN CHOPRA, Director